राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 122 / 2025

निर्णय दिनांक : 09.07.2025

दायर दिनांक – 09.07.2025

1. ओमप्रकाश पुत्र खींयाराम जाति नाई निवासी धातरी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू ....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू ....अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान धातरी में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। रोही धातरी तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 177 के खसरा संख्या 648 / 46 तादादी 3.0348 है0 प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में उमाराम पुत्र खींयाराम दर्ज है जो अशुद्ध है, जबकि प्रार्थी का सही नाम ओमप्रकाश पुत्र खींयाराम है। अन्य दस्तावेजों में भी नाम ओम प्रकाश है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण रिकॉर्ड दुरस्त करवाना आवश्यक है।

प्रश्नगत खेत रोही धातरी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला चूरू

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

कर निवेदन किया कि दस्तोवजों यथा आधारकार्ड में प्रार्थी का सही नाम ओमप्रकाश गोदारा अंकित है जबकि जमाबन्दी में नाम उमाराम अंकित है जो अशुद्ध है। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में उमाराम के बजाय ओमप्रकाश दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही धातरी तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 177 के खसरा संख्या 648/46 तादादी 3.0348 है0 में दर्ज खातेदार का नाम उमाराम के स्थान पर ओमप्रकाश दर्ज किया जावे। रहन की प्रविष्टी (यदि कोई हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला–चूरू

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़